

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/ए.पी.ओ/पदस्थापन/2018 दिनांक 09.03.2019


विकास दीक्षित, व्याख्याता राजनीति विज्ञान
कार्यालय सहायक जिला परियोजना समन्वयक (समसा)
कोटा

विषय:-कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.3.2019 के द्वारा कार्यालय सहायक जिला परियोजना समन्वयक (समसा) कोटा से कार्यक्रम अधिकारी के पद से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर आपका पदस्थापन राउमावि० सिमलिया-सुल्तानपुर, कोटा किया जाकर तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु आदेशित किया गया था।


कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा से प्राप्त सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा आज दिनांक तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है। आपका उक्त कृत्य आपके पदीय दायित्व के अनुरूप नहीं है एवं राजकीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने से पदस्थापित स्थान पर राजकार्य बाधित हो रहा है। आपके द्वारा कारित कृत्य के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध राजकीय आदेशों की अवहेलना एवं राजकार्य बाधित करने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग करे आज ही पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करें एवं कायग्रहण रिपोर्ट इस कार्यालय की मेल आईडी. dir.dse@rajasthan.gov.in अन्यथा एकतरफा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक का आज ही पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें। अन्यथा स्थिति में संबंधित कार्मिक के विरुद्ध आज ही अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण प्रस्ताव मय प्रपत्र अ,ब,स,द मेल आईडी. dir.dse@rajasthan.gov.in भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को कार्मिक को सुचित किये जाने हेतु विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजिगृ/प्रतिनियुक्ति-समायोजन/2019

दिनांक 09.03.2019


आशीष मालव व्याख्याता रसायन विज्ञान
द्वारा कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक लाडपुरा कोटा

विषय:-कार्यग्रहण नही करने के संबंध में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय समसख्यक आदेश दिनांक 02.3.2019 के द्वारा कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक लाडपुरा कोटा से संदर्भ व्यक्ति के पद से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर आपका पदस्थापन राउमावि0 बनगेडा घाटा चित्तौडगढ किया जाकर तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु आदेशित किया गया था।


कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा से प्राप्त सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा आज दिनांक तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है। आपका उक्त कृत्य आपके पदीय दायित्व के अनुरूप नहीं है एवं राजकीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने से पदस्थापित स्थान पर राजकार्य बाधित हो रहा है। आपके द्वारा कारित कृत्य के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध राजकीय आदेशों की अवहेलना एवं राजकार्य बाधित करने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग करे आज ही पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करें एवं कायग्रहण रिपोर्ट इस कार्यालय की मेल आईडी. dir.dse@rajasthan.gov.in अन्यथा एकतरफा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक का आज ही पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें। अन्यथा स्थिति में संबंधित कार्मिक के विरुद्ध आज ही अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण प्रस्ताव मय प्रपत्र अ,ब,स,द मेल आईडी. dir.dse@rajasthan.gov.in भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को कार्मिक को सुचित किये जाने हेतु विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-8/प्रतिनियुक्ति/2019

दिनांक 09.03.2019


मनीषा शर्मा, व्याख्याता भौतिक विज्ञान
कार्यालय सहायक जिला परियोजना समन्वयक (समसा)
करौली

विषय:-कार्यग्रहण नही करने के संबंध में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय समसख्यक आदेश दिनांक 05.3.2019 के द्वारा कार्यालय सहायक जिला परियोजना समन्वयक (समसा) करौली से कार्यक्रम अधिकारी के पद से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर आपका पदस्थापन राउमावि0 सेवा-गंगापुरसिटी, स0 माधोपुर किया जाकर तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु आदेशित किया गया था।


कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग भरतपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा आज दिनांक तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है। आपका उक्त कृत्य आपके पदीय दायित्व के अनुरूप नहीं है एवं राजकीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने से पदस्थापित स्थान पर राजकार्य बाधित हो रहा है। आपके द्वारा कारित कृत्य के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध राजकीय आदेशों की अवहेलना एवं राजकार्य बाधित करने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग करे आज ही पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करें एवं कायग्रहण रिपोर्ट इस कार्यालय की मेल आईडी. dir.dse@rajasthan.gov.in अन्यथा एकतरफा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा स0 माधोपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक का आज ही पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें। अन्यथा स्थिति में संबंधित कार्मिक के विरुद्ध आज ही अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण प्रस्ताव मय प्रपत्र अ,ब,स,द मेल आईडी. dir.dse@rajasthan.gov.in भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को कार्मिक को सुचित किये जाने हेतु विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-8/प्रतिनियुक्ति/2019

दिनांक 09/03/2019


मुकेश कुमार अग्रवाल, व्याख्याता भौतिक विज्ञान
कार्यालय सहायक जिला परियोजना समन्वयक (समसा)
भरतपुर

विषय:-कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.3.2019 के द्वारा कार्यालय सहायक जिला परियोजना समन्वयक (समसा) भरतपुर से कार्यक्रम अधिकारी के पद से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर आपका पदस्थापन राउमावि0 खुडासा-रूपवास, भरतपुर किया जाकर तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु आदेशित किया गया था।


कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग भरतपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा आज दिनांक तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है। आपका उक्त कृत्य आपके पदीय दायित्व के अनुरूप नहीं है एवं राजकीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने से पदस्थापित स्थान पर राजकार्य बाधित हो रहा है। आपके द्वारा कारित कृत्य के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध राजकीय आदेशों की अवहेलना एवं राजकार्य बाधित करने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग करे आज ही पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करें एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस कार्यालय की मेल आईडी. dir.dse@rajasthan.gov.in अन्यथा एकतरफा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग भरतपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा भरतपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक का आज ही पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे। अन्यथा स्थिति में संबंधित कार्मिक के विरुद्ध आज ही अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण प्रस्ताव मय प्रपत्र अ,ब,स,द मेल आईडी. dir.dse@rajasthan.gov.in भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
3. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को कार्मिक को सुचित किये जाने हेतु विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर